न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर0एम0ए0 नं0–02/2006–07

रोबेन बास्की
बनाम
बड़का मराण्डी एवं अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
29.06.2012	**आदेश** यह अपील वाद विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पी0ए0 वाद सं0–29/2004 में दिनांक 02.12.2005 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर है। मामला महेशपुर अंचल अन्तर्गत मौजा–राधाकिष्टोपुर में उत्तरकारी बड़का मराण्डी के ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति के विरूद्ध है। अपीलकर्त्ता के द्वारा दिये गये अपने लिखित बहस में उल्लेख किया गया है कि पूर्व ग्राम प्रधान मईका बास्की जो विपक्षी का मां है की शादी घरजमाई तरीके से नहीं हुई थीं। गलत रूप से अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा पी0ए0 वाद सं0–13/86–87 द्वारा इनकी नियुक्ति ग्राम प्रधान के पद पर किया गया था। उस नियुक्ति के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा उपायुक्त, साहेबगंज के न्यायालय में अपील दायर किया गया था एवं जिस पर अपर उपायुक्त साहेबगंज द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया गया था। तदोपरान्त उस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में रिभीजन वाद दायर किया गया जो आर0एम0आर0 वाद सं0–108/92 संस्थित है। आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में रिभीजन वाद लंबित रहने के बीच मईका बास्की (उत्तरकारी की मां) की मृत्यु हो गई थी। दिनांक 08.02.2005 को आयुक्त के न्यायालय में बड़का मराण्डी को स्व0 मईका बास्की के स्थान पर पक्षकार बनाने का आवेदन दिया गया था। आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका द्वारा दिनांक 08.10.2005 को स्व0 मईका बास्की के नाम को हटाते हुए उत्तरकारी को पक्षकार बनाने हेतु आदेश दिया गया है। इनका कहना है कि अपीलकर्त्ता खतियानी रैयत चांद बास्की एवं मईका बास्की का नजदीकी है। उत्तरकारी	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

बड़का मराण्डी की मां मईका बास्की पति दुधू मराण्डी एवं माईक बास्की का संगी बहन श्रीफुल बास्की के बीच अवर न्यायाधीश प्रथम, पाकुड़ के न्यायालय में टाईटिल वाद सं0– 04/87 चला था। जिसमें उत्तरकारी के पिता घरजमाई तरीके से किये गये शादी का प्रमाण नहीं कर सका था।

इनका यह भी कहना है कि आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में रिभीजन वाद संख्या– 108/1992 में न्यायालय द्वारा मईका बास्की की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र बड़का मराण्डी को पक्षकार बनाने हेतु नोटिस निर्गत किया गया था। परन्तु उत्तरकारी बड़का मराण्डी द्वारा आयुक्त के न्यायालय में लंबित रिभीजन वाद को छुपाते हुए स्वयं को मईका बास्की के स्थान पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत ग्राम राधाकिष्टोपुर में प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिनांक 16.03.2006 को अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के समक्ष दिया गया था। उत्तरवादी के आवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अंचल अधिकारी, महेशपुर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया था। अंचल अधिकारी के द्वारा उत्तरकारी बड़का मराण्डी के पक्ष में प्रतिवेदन दिया गया था। परन्तु प्रतिवेदन में ग्राम के 16 आना रैयतों का समर्थन का उल्लेख नहीं किया गया है।

अपीलकर्त्ता यह भी कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड को आयुक्त के न्यायालय, दुमका के द्वारा पारित आदेश की प्रति एवं वकालतनामा के साथ दिनांक 02.12.2005 को आवेदन दिया गया था परन्तु अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा अपीलकर्त्ता को सुनवाई का मौका दिये बिना दिनांक 02.12.2005 को आदेश पारित कर उत्तरकारी बड़का मराण्डी को मौजा राधा किस्टोपुर के ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्त किया गया। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को मंजूर करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरकारी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दिये गये लिखित बहस का अवलोकन किया गया। जिसमें निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये है :–

मौजा राधा किस्टोपुर, थाना महेशपुर, जिला–पाकुड़ के विगत

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

सर्वे खतियानी प्रधान चांद बास्की था। जिसकी मृत्यु नावल्द होने के कारण उसका छोटा भाई छोटा बास्की उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त हुआ था। छोटा बास्की की मरणोपरान्त उसकी प्रथम पुत्री मईका बास्की प्रधान नियुक्त हुई। अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के प्रधानी नियुक्ति वाद सं0– 13/86–87 में मौजा राधा किस्टोपुर के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु तीन आवेदक था, जिसमें दो उम्मीदवार बुधराय हेम्ब्रम एवं मईका बास्की के द्वारा अनुवांशिक आधार पर नियुक्ति हेतु दावा प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा माईका बास्की को अनुवंशिक दावा के आधार पर प्रधान नियुक्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक गिरीश बास्की द्वारा उपायुक्त, साहेबगंज के न्यायालय में रिभीजन वाद सं0– 05/88–89 दायर किया गया था, जो अपर उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा दिनांक 09.10.1991 को गिरीश बास्की के आवेदन को नामंजूर करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश 04.08.1987 को बरकरार रखा गया। इसके अलावे बुधराय मुर्मू के द्वारा भी प्रधानी नियुक्ति वाद सं0– 13/86–87 के विरूद्ध उपायुक्त, साहेबगंज के न्यायालय में राजस्व विविध वाद सं0– 19/88–89 दायर किया गया था। जिसमें राजस्व विविध वाद सं0– 05/88–89 को सम्मिलित करते हुए बुधराय हेम्ब्रम का आवेदन को नामंजूर किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध बुधराय हेम्ब्रम के द्वारा आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में राजस्व विविध वाद सं0– 113/91–92 दायर किया गया। उक्त वाद में आयुक्त द्वारा रिभीजन को प्रतिक्षेपित किये है।

उत्तरकारी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उत्तरकारी की नियुक्ति विधिवत एवं नियमानुसार उनके मां के स्थान पर की गयी है। इनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवका के द्वारा दिये गये लिखित बहस एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरकारी की नियुक्ति वंशानुगत के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी पुनरीक्षित अधिनियम की

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	धारा–6 के तहत उत्तरकारी के मां के स्थान पर की गई है। जहां तक उत्तरकारी के मां की ग्राम प्रधान नियुक्ति के विरूद्ध रिभीजन आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में लंबित रहने संबंधी वाद की अद्यतन स्थिति के संबंध में अपीलकर्त्ता के द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः विवेचनोपरान्त निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सही पाते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा जाता है। लेखापित एवं संशोधित। उ पा यु क्त, पाकुड़। उ पा यु क्त, पाकुड़।	28/08/2012

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.05 16:54:48 +05:30
Location: 192.168.1.100

Scanned with CamScanner